छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 8, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उप धारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रामविचार नेताम, पशुधन विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025–26 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, राष्ट्रीय राजमार्ग 149 ''ब'' बाईपास रोड निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशि भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री प्रबोध मिंज, अजय चन्द्राकर, रिकेश सेन, सदस्य, पी.एम.श्री आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय रामचंद्रपुर को परीक्षा केन्द्र से वंचित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक–3, बैकुण्ठपुर के सदस्य, श्री भईयालाल राजवाड़े को फरवरी–मार्च, 2026 सत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2026 से दिनांक 27 फरवरी, 2026 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री धर्मजीत सिंह, सभापति, याचिका समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम अंजोरा (ख) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(ii) खपरी मध्यम परियोजना बांध का जीर्णोद्धार करने,

(iii) ग्राम मचांदूर स्थित नाले पर स्टापडेम निर्माण करने,

(iv) ग्राम झोला में शिवनाथ नदी पर तटबंध निर्माण करने,

(2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य –

(i) धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड–3 के ओव्हरब्रिज के नीचे ट्रेफिक सिग्नल लगाये जाने,

(ii) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बावली में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की शाखा खोलने,

(3) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम जामरी–मुड़पार मार्ग में पुल–पुलिया का जीर्णोद्धार करने,

(4) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) अकलतरा में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम बिरकोनी से सोरमाल के मध्य नाले पर स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने तथा

(iii) ग्राम सोनादुला में लीलागर नदी पर एनीकट निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

7. मंत्री का वक्तव्य

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, दिनांक 15 दिसम्बर,2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या–08 (क्रमांक–54) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे।

क्रमशः 3

8. वित्तीय वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

9. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री रिकेश सेन, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भिलाई नगर स्थित सेक्टर–09 हॉस्पिटल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के रूप में पुनःस्थापित किया जाये।"

30 मिनट (2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रहवासी–बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये संचालित आश्रम–छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष सहायता राशि की मांग की जाये।"

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 26 फरवरी, 2026